

विभाग का नाम :- शिक्षा विभाग

विभाग का पता :- पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 04

दिनांक :- 08/08/2017

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

क्या उपमुख्यमंत्री/ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि शिक्षा निदेशालय द्वारा 18 जनवरी 2016 को 9623 अध्यापकों की भर्ती के आदेश जारी किये गये थे;	शिक्षा निदेशालय द्वारा 9623 नये पदों को सृजित करने का आदेश दिनांक 18/01/2016 को जारी किया गया था ।
(ख) क्या यह सत्य है कि इनकी भर्तियां अब दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा न करके ईडीसीआईएल इंडिया प्रा0 लि0 द्वारा की जायेंगी;	वर्तमान स्थिति के अनुसार ये पद सीधी भर्ती के माध्यम से दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा भरे जायेंगे ।
(ग) उपरोक्त 9623 अध्यापकों की भर्ती के आदेश स्थायी अध्यापकों की या गेस्ट टीचर्स की भर्ती के लिए था;	उपरोक्त के अनुसार दिनांक 18 जनवरी, 2016 का आदेश 9623 नए पदों के " सृजन " के लिए था ।
(घ) भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ न करने के क्या कारण हैं;	8298 पद जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं, उनके लिये मांग पत्र दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेजा जा चुका है ।
(ङ.) यह प्रक्रिया कब तक प्रारंभ की जाएगी;	उपरोक्तानुसार ।
(च) भर्ती किए जाने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है; और	उपरोक्तानुसार ।
(छ) भर्तियां कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?	उपरोक्तानुसार ।

